

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 845/2024

अनवान : -

1. रियासत अली पुत्र फान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. लियाकत अली पुत्र फान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर

- वादीगण

बनाम्

1. फान मोहम्मद पुत्र सुपर्इया जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण  
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 08/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 121/120 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.3160 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 125/124 के कुल खसरे 2 की कुल 7.4860 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण संख्या 1 ता 2 का पिता है उक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा उक्त भूमि में है अपने पुत्रगण वादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुका है बाद हक त्याग रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 121/120 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.3160 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर व खाता संख्या 125/124 के कुल खसरे 2 की कुल 7.4860 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब. हि.ब काबिज है व रोही मौजा ढाणी लाल खां के खाता संख्या 54/53 के कुल खसरे 3 का कुल 13.6070 है. भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर



अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ढाणी लाल खां सम्वत 2073-76 खाता सं० 121/120, 125/124, 54/53 दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण संख्या 1 ता 2 का पिता है उक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा उक्त भूमि में है अपने पुत्रगण वादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुका है बाद हक त्याग रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 121/120 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.3160 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर व खाता संख्या 125/124 के कुल खसरे 2 की कुल 7.4860 है। भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब.हि.ब काबिज है व रोही मौजा ढाणी लाल खां के खाता संख्या 54/53 के कुल खसरे 3 का कुल 13.6070 है। भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 121/120 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.3160 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 125/124 के कुल खसरे 2 की कुल 7.4860 है। भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना

  
अध्यक्ष न्यायाधीश  
न्यायालय

जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 121/120 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.3160 है 0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 125/124 के कुल खसरे 2 की कुल 7.4860 है। भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व रोही मोजा ढाणी लाल खां के खाता संख्या 54/53 के कुल खसरे 3 का कुल 13.6070 है। भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 845/2024

अनवान : -

1. रियासत अली पुत्र फान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. लियाकत अली पुत्र फान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर

- वादीगण

बनाम्

1. फान मोहम्मद पुत्र सुपर्ईया जाति मुसलमान निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 845 सन 2024 निर्णय दिनांक - 08/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी लाल खां तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 121/120 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.3160 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 125/124 के कुल खसरे 2 की कुल 7.4860 है. भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि उक्त दोनो खातो में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व रोही मोजा ढाणी लाल खां के खाता संख्या 54/53 के कुल खसरे 3 का कुल 13.6070 है. भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर